सीसीटीएनएस / अतिआवश्यक

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–82 / 2012 दिनांकःमार्च 09, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः–पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज की ऑन–लाइन प्राप्ति के लिए जारी शासनादेश का अनुपालन।

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 38 / 2018 / 189 / 6–पु0–7–2018–194 / 2107 दिनांक 27–02–2018

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश दिनांक 27–02–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके कम में पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण करने एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नामरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सापेक्ष शुल्क के आन–लाइन प्राप्ति विषयक है।

2. उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 28.02.2018 एवं श्री बी0पी0 जोगदण्ड, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्रांक सामान्य / बारह–विविध–2017 दिनांक 08.03.2018 के द्वारा अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत किया जा चुका हैं जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है। इस प्रकरण में अनुपालन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) को शासनादेश के अनुसार अपेक्षित बदलाव व उपरोक्त के कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुकी है।

संलग्नकःयथोपरि।

9/3

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

E-mail
1

(6)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्याःसामान्य/सारह (विविध)-2017, दिनांकःमार्च 8 ,2018

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय :- पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवर एवं उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिये जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज का निर्धारण किये जाने के संबंध मे ।

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-38/2018/189/6-पु-7-2018-194/2017 दिनांक:27.2.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिये जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज का निर्धारण निम्न तालिका के अनुसार कतिपय शर्तों के साथ किये जाने की व्यवस्था की गई है :-

क0 सं0	सेवा	पुलिस विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्द्रों द्वारा शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने पर निर्धारित शुल्क
1	Lost and found	0	15/-
2	Filing of complaint for fir regestration	0	15/-
3	Issunance of certificate for character, antecedents, no objection for vehicle etc.	50/-	65/-
4	Application for tenant verification	50/-	65/-
5	Application for servent verification	50/-	65/-
6	Application for police verification	50/-	65/-

1- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/78-2-2016-34आईटी/2010 दि04. 2.2016 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलिवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूजर चार्जेज में से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी0एस0पी0) के अंश के पुनर्विभाजन एवं वितरण की व्यवस्था निर्धारित की गयी है । जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलिवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु जो शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही लिया जायेगा ।

2- ऐसे आवेदक जो सीधे पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल से विभागीय सेवायें प्राप्त करें उन्हें राजकोषीय देयता के अतिरिक्त अन्य किसी यूजर चार्जेज/प्रदाता अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा।

3- उक्त शुल्कों के अधिरोपड हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि जनसामान्य से न वसूली जाय ।

4- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा । किसी विचलन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे किसी भी अनियमितता अथवा आडिट आपत्ति के लिये वही उत्तरदायी होंगे ।

5- पुलिस विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों के द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ यथा-इंटीग्रेशन, प्रशिक्षण संबंधी सामग्री इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है ।

6- आवेदक द्वारा निकटतम जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पुलिस विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु जन सेवा केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा । तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पर संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा । उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा ।

7- उक्त प्राप्तियों को प्राप्ति लेखाशीर्ष "0055-पुलिस-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा ।

2. अतएव, आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त शासनादेश में निहित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि-

8/3

(बी0पी0 जोगदण्ड)
अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय
उत्तर प्रदेश ।

(2)

<u>संख्या तथा दिनांक यथोक्त</u>

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. गोपनीय सहायक अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,पुलिस महानिरीक्षक भ0/क0/मुख्यालय/पुलिस अधीक्षक,कार्मिक/मुख्यालय/भ0क0/अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/कार्मिक एवं भवन कल्याण ।
3. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग बजट/सात–62(पोर्टल)2017 दिनांक–5.3.2018 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय ।

सीसीटीएनएस/अतिआवश्यक

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांक:टीएस–सीसीटीएनएस–82/2012 दिनांक:फरवरी 28, 2018

सेवा में,

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेलवेज उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवेज उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस अधीक्षक, रेलवे ,समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
7. प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उत्तर प्रदेश।

विषयः–पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज की ऑन–लाइन प्राप्ति के लिए जारी शासनादेश के अनुपालन हेतु।

सन्दर्भः– इस मुख्यालय के समांक पत्र 13.06.2017, 31.7.2017, 14.12.2017, 16.1.2018, 3.2.2018

,, ,, पत्रांक टीएस–सीसीटीएनएस–14/2010–3 दिनांक 3.1.2018

अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्रांक सात–62–(पोर्टल)–2017 दिनांक 16.08.2017, 12.01.2018, 18.01.2018

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न शासनादेश संख्या 38/2018/189/6–पु0–7–2018–194/2107 दिनांक 27–02–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण करने एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नामरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सापेक्ष शुल्क के आन–लाइन प्राप्ति विषयक है।

2. इस प्रकरण में एनआईसी, एनआईआईटी, तकनीकी सेवायें, कोषागार, पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी एवं उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से पुलिस विभाग के नागरिक सेवाओं के सापेक्ष शुल्क की ऑन–लाइन प्राप्ति के लिए राजकीय भुगतान सेवा राजकोष पोर्टल http://rajkosh.up.nic.in से जोड़

दिया गया है। इस सम्बन्ध में सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में इससे सम्बन्धित अपेक्षित बदलाव का अपने स्तर से शासनादेश के अनुसार पुनः परीक्षण करे लें ताकि अब आम नागरिक घर बैठे ही पैसा जमा कर डाउनलोड करके प्रमाण–पत्र प्रिन्ट कर सकें, एवं शासनादेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

28/2

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री बी0पी0 जोगदण्ड, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, 10वॉ तल जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0 226001 को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
3. सचिव, गृह विभाग अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त के कम सूचनार्थ।
4. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, योजना भवन, लखनऊ।
5. श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, सीसीटीएनएस/तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु।
6. एसपीएमयू को समन्वय एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
7. एनआईआईटी को इस आशय प्रेषित है कि साफ्टवेयर में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करायें जिससे अब आम नागरिक घर बैठे ही पैसा जमा कर डाउनलोड करके प्रमाण–पत्र प्रिन्ट कर सकें।
8. श्री कृष्ण मुरारी/तरू माथुर, प्रोग्रामर ग्रेड–2 उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश लखनऊ को समन्वय एवं इस सम्बन्ध में समस्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उत्तर प्रदेश को शासनादेश के अनुसार अपेक्षित बदलाव व उपरोक्त के कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।

निर्गत
दि0 08-3-18

संख्या- 38/2018 189/6-पु-7-2018-194/2017

ADG (Tech Service)
ADG (B)

एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद

DGP
27-2-18

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2018

विषय- पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-सात-62(पोर्टल)2017 दिनांक 18.01.2018, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्जेज का निर्धारण निम्न तालिका के अनुसार कतिपय शर्तों के साथ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

क्र0	सेवा	पुलिस विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्द्रों द्वारा शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने पर निर्धारित शुल्क
1	Lost and Found	0	15/-
2	Filing of complaint for FIR Regestration	0	15/-
3	Issunance of Certificate for character, Antecedents, No objection for vehicle etc.	50/-	65/-
4	Application for tenant verification	50/-	65/-
5	Application for Servent verification	50/-	65/-
6	Application for Police verification	50/-	65/-

1- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/78-2-2016-34आईटी/2010 दिनांक 04.02.2016 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलिवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूजर चार्जेज में से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी0एस0पी0) के अंश के पुनर्विभाजन एवं वितरण की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलिवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु जो शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही लिया जाएगा।

2- ऐसे आवेदक जो सीधे पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल से विभागीय सेवाएं प्राप्त करेंगे उन्हें राजकोषीय देयता के अतिरिक्त अन्य किसी यूजर चार्जेज/प्रदाता अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा।

3- उक्त शुल्कों के अधिरोपण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि जनसामान्य से न वसूली जाय।

4- शासनादेशो में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। किसी विचलन के लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे किसी भी अनियमितता अथवा आडिट आपत्ति के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।

5- पुलिस विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों के द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इंटीग्रेशन, प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

6- आवेदक द्वारा निकतम जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पुलिस विभाग की सेवाओ को प्राप्त करने हेतु जन सेवा केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रो का निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमो के अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्राप्तियों हेतु अलग से प्राप्ति शीर्ष खोले जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इस प्रकार की प्राप्तियों को प्राप्ति लेखाशीर्ष "0055-पुलिस-800-अन्य प्राप्तिया-08-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां" के अन्तर्गत जमा किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-314/दस-2018, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0पी0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-189/6-पु-7-2018 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा/आडिट, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेंस, लखनऊ।
6- एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, इलाहाबाद।
8- निदेशक वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।